रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1976/माघ 11, 1897
No. 56] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1976/MAGHA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January 1976

S.O. 71(E).—Whereas the Government of the State of Tamil Nadu have intimated a few alterations in the name and extent of territorial divisions in the State and inadvertent slip or omission, in the description of certain assembly constituencies mentioned in Table B of the Delimitation Commission's Order No. 31 of 1 January, 1975, in respect of the State of Tamil Nadu;

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to make amendments in the description of those constituencies and in the Appendix to the said Order and correct the errors arising from inadvertent slip or omission so as to bring the Order correct and uptodate;

Now therefore in exercise of the powers conferred by section 11 of the Delimitation Act, 1972, the Election Commission hereby makes the corrections in the said Order as follows:—

I—In Table B—Assembly Constituencies—

(i) Under column 2, against 15-Gummidipundi, in the description of the extent of the constituency, for the words Gummidipundi sub-taluk', the words "Gummidipundi taluk" shall be *substituted*;

(ii) Under column 2, against 16-Ponneri(SC), in the description of the extent of the constituency, the words and brackets "(excluding Gummidipundi sub-taluk)", shall be amitted;

(iii) Under column 2, against 60-Thirunavalur in the description of the extent of the constituency, *for* the existing entry, the entry "Thirunavalur Panchayat Union in Ulunderpet taluk; and Thiruvennainallur panchayat Union in Tirukoilur and Ulunderpet taluks." shall be *substituted;*

(iv) Under column 2, against 61-Ulunderpet(SC), in the description of the extent of the constituency, *for* the words "Tirukoilur taluk", the words "Ulunderpet taluk" shall be *substituted;*

(v) Under column 2, against 62-Nellikuppam, in the description of the extent of the constituency, *for* the words "Anna Gramam panchayat Union" the words "Anna Gramam Panchayat Union in Panruti taluk;" shall be *substituted;*

(vi) Under column 2, against 64-Panruti, in the description of the extent of the constituency, *for* the existing entry, the entry "Panruti municipality, Panruti Panchayat Union, the panchayats in Kurinjipadi Panchayat Union specified in item (17) of the Appendix in Panruti taluk; and the panchayats in Kurinjipadi Panchayat Union specified in item (17-A) of the Appendix in Cuddalore taluk.", shall be *substituted;*

(vii) Under column 2, against 65-Kurinjipadi, in the description of the extent of the constituency, *for* the existing entry, the entry "Neyveli Lignite Corporation area, Kurinjipadi Panchayat Union [excluding the panchayats specified in items (17) and (17-A) of the Appendix] in Panruti and Cuddalore taluks." shall be *substituted;*

(viii) Under column 2, against 67-Kattumannarkoil(SC) and 68-Chidambaram, in the description of the extent of the constituency, the words and figures "village 140-Thirupaninatham in Chettikattalai Panchayat and" shall be *omitted;*

(ix) Under columns 1 and 2 against 97-Kabilamalai, *for* the word "Kabilamalai" *read* "Kapilamalai";

(x) Under column 2, against 124-Bhavanisagar, in the description of the extent of the constituency, *for* the existing entry, the entry "Bhavanisagar Township and Bhavanisagar Panchayat Union in Sathyamangalam taluk; Nambiyur Panchayat Union (excluding Koshanam, Talguni and Getticheviyur panchayats) and Sathyamangalam Panchayat Union [excluding the panchayats specified in item (35) of the Appendix] in Gobichettipalayam and Sathyamangalam taluk.", shall be *substituted;*

(xi) Under column 2, against 125-Sathyamangalam, in the description of the extent of the constituency, *for* the existing entry, the entry "Sathyamangalam Municipality, the panchayats in Sathyamangalam panchayat Union specified in item (35) of the Appendix and Talavady Panchayat Union in Sathyamangalam taluk; and Thuckkanaickenpalayam panchayat Union and the reserve forests lying in Gobichettipalayam and Sathyamangalam taluks.", shall be *substituted;*

'(xii) Under column 2, against 141-Tirupparankundram, in the description of the extent of the constituency, *for* the existing entry, the entry "Tirupparankundram Panchayat Union [excluding the Panchayats specified in item (39) of the Appendix]; and Madakulam, Ponmeni, Arappalayam, Kokkalappi, Kochadai and Villapuram (part) villages of Madurai South taluk", shall be *substituted;*

(xiii) Under column 2, against 143-Madurai Central, in the description of the extent of the constituency, *for* the existing entry, the entry "Madurai Corporation [excluding Divisions 1 to 12, 16 to 21, 27, 28 and 38 to 45 and Madakulam, Ponmeni, Arappalayam, Kokkalappi, Kochadai, Villapuram (part) villages of Madurai South taluk; and Sellur, Beebikulam, Tallakulam, Sathamangalam, Vilangudi (part), Thathaneri (part) and Managiri (part) villages of Madurai North taluk]", shall be *substituted;*

(xiv) Under column 2, against 145-Samayanallur (SC), in the description of the extent of the constituency, *for* the existing entry the entry "Madurai North taluk, including Sellur, Beebikulam, Tallakulam, Sathamangalam, Vilangudi (part), Thathaneri (part) and Managiri (part) villages", shall be *substituted;*

(xv) Under column 2, against 155-Kulithalai, in the description of the extent of the constituency, after the words "Appendix", the words "and Usilampatti, Kannudayampatti and Kallngapatti villages", shall be *inserted;*

(xvi) Under column 2, against 167-Tiruchirappalli-II and 168-Thiruverambur, in the description of the extent of the constituencies *for* the words "K. Abishekhapuram Town Panchayats", the words "K. Abishekhapuram Panchayats", shall be *substituted;*

(xvii) Under column 2, against 174-Tiruvarur(SC), in the description of the extent of the constituency, *for* the words "Nagapattinam taluk", the words "Tiruvarur taluk" shall be *substituted;*

(xviii) Under column 2, against 180-Peravurani, in the description of the extent of the constituency, *for* the words 'Peravurani sub-taluk", the words "Peravurani taluk", shall be *substituted;*

(xix) Under column 2, against 207-Sivakasi, 208-Srivilliputhur and 209-Rajapalayam(SC), in the description of the extent of the constituencies *for* the words "Rajapalayam sub-taluk", the words "Rajapalayam taluk" shall be *substituted;*

(xx) Under column 2, against 210-Vilathikulam and 211-Ottapidaram (SC), in the description of the extent of the constituencies, *for* the words "Ottapidaram sub-taluk", the words "Ottapidram taluk" shall be *substituted;*

II. In the Note, *for* the words and figure "1st day of December, 1974" the words and figure "1st day of August, 1975" shall be *substituted;*

III. In the Appendix to the said Order—

(i) In item (10), *after* the entry '12-Agraharam,", the entry "13-Veppankuppam" shall be *added;*

(ii) *For* existing items (16), (17) and (18), the following items shall be substituted:—

"(16)

Panchayats in Cuddalore Panchayat Union Cuddalore taluk included in 62-Nellikuppam constituency.

1. Ramapuram
2. Vellakarai
3. Kodukkanpalayam
4. Chennappanaickenpalayam
5. Naduveerapattu
6. Kumalangulam
7. Vilangalpattu
8. Vanamadevi
9. Thirumanikuli
10. Thiruvandipuram
11. Pillali
12. Kunamangalam
13. Karamanikuppam
14. Varagalpattu

(17)

Panchayats in Kurinjipadi Panchayat Union in Panruti taluk included in 64-Panruti constituency.

1. Annathanampettai
2. Keelur
3. Vadakuthu
4. Venkatampettai
5. Koranapattu
6. Madhanagopalapuram

7. Puliyur
8. Samuttikuppam

(17-A)

Panchayats in Kurinjipadi Panchayat Union in Cuddalore taluk included in 64-Panruti constituency.

1. Thayalgunampatnam
2. Pethunaickenkuppam
3. Thambipettai
4. T. Palayam
5. Ambalavanampettai
6. Vazhudalampattu
7. Krishnankuppam

(18)

Panchayats in Kattumannarkoil Panchayat Union in Chidambaram taluk included in 68-Chidambaram constituency.

1. Koshai
2. Adivarahanallur
3. Kandiyankuppam
4. Srineduncheri
5. Thethampattu
6. Srimushnam
7. Nagarapadi
8. Sriputhur
9. Melpuliyangudi
10. Kallipadi
11. Kunamangalam
12. Madakalirmanickam
13. Easanur
14. Kokkarasampettai;

(iii) In item (21)—

(a) after the entry '13-Ariyaperumanur", the entry "14-Ranganathapuram" shall be *inserted;*

(b) the entry "17-Thenkeeranur" shall be omitted; and

(c) the existing serial numbers "14, 15 and 16" shall be *re-numbered* as serial numbers "15, 16 and 17", respectively;

(iv) In item (23)—

(a) after the entry "1-Karukkanahalli", the entry "2-Doddametri" shall be *inserted;* and

(b) the existing serial numbers "2 to 5" shall be *re-numbered* as serial numbers "3 to 6", respectively;

(v) In item (26) *after* the entry "9-Muthunaickenpatti", the entry "10-Semmankudal" shall be *added;*

(vi) Under item (35), in the heading, *for* the words "Gobichettipalayam taluk" *substitute* the words "Sathyamangalam taluk";

(vii) Under item (36) *for* "9. Kottaiduari Perichipalayam" *substitute* "9. Kottadurai".

(viii) In item 46—

(a) *after* the entry "8-Sendakottai", the entry "9-Maliakkadu" shall be *inserted;* and

(b) the existing serial numbers "9 to 14" shall be *re-numbered* as serial numbers "10 to 15" respectively;

(ix) Under item (47) *for* "20. Ulur" *substitute* the word "20. Mela Ulur";

(x) Under item (48) *for* "4. Vennalodai" *substitute* the word "4-Vadagal";

(xi) Under item (54), in the heading, *for* the words "Ottapidaram subtaluk", the words "Ottapidaram taluk" shall be substituted; and

(xii) Under item (65) *for* "6-Tuticorin (N.M.)" *substitute* the word "Tuticorin (Rural)".

[No. 282/1/TN/75.]

By Order,
V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1976

का०आ० 71 (**अ**) —तमिलनाडु राज्य सरकार ने "तमिलनाडु राज्य के प्रादेशिक खण्डों के नाम और विस्तार मे कुछ परिवर्तन और उस राज्य के सम्बन्ध मे परिसीमन आयोग के तारीख 1 जनवरी, 1975 के आदेश स० 31 की सारणी ख मे वर्णित कतिपय सभा निर्वाचन-क्षेत्रो के विस्तार के वर्णन मे अनवधानता से हुई भूल या चूक ससूचित की है ;

और निर्वाचन आयोग उन निर्वाचन-क्षेत्रो के विस्तार के वर्णन मे तथा उक्त आदेश के परिशिष्ट में संशोधन करना तथा उक्त आदेश को ठीक और अद्यतन करने के लिए अनवधानता से हुई भूल या चूक से परिणामित गलतियों को ठीक करना आवश्यक और समीचीन समझता है ;

अत , अब, परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त आदेश मे निम्नलिखित के अनुसार सशोधन करता है —

I सारणी ख सभा निर्वाचन-क्षेत्र मे—

(i) स्तम्भ 2 के नीचे, 15. गुम्मिडिपुन्डी के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन मे आए "गुम्मिडिपुन्डि उप तालुक" शब्दो **के स्थान पर** "गुमिडिपुन्डि तालुक" शब्द रखे जायेगे ,

(ii) स्तम्भ 2 के नीचे, 16 पोन्नेरी (अ०जा०) के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन मे आए "(गुम्मिडिपुन्डि उप-तालुक को छोडकर)" शब्द और कोष्ठक को **हटा दिया जायेगा** ,

(iii) स्तम्भ 2 के नीचे, 60 थिरुनावलुर के सामने निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन मे विद्यमान प्रविष्टि **के स्थान पर**, "उलुन्दुरपेट तालुक मे थिरुनावलुर पचायत यूनियन, और तिरुकोइलुर तथा उलुन्दुरपेट तालुको मे थिरुव-नाइनलुर पजायत यूनियन ।" प्रविष्टि रखी जाएगी ,

(iv) स्तम्भ 2 के नीचे, 61 उलुन्दुरपेट (अ०जा०) के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन मे आए "तिरुकोइलुर तालुक" शब्दो **के स्थान पर**, "उलुन्दुरपेट तालुक" शब्द रख जायेगे ,

(v) स्तम्भ 2 के नीचे, 62 नेल्लिकुप्पम के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन मे आए "अन्ना ग्राम्म पचायत यूनियन" शब्दो के स्थान पर, "पानरुटी-तालुक मे अन्ना ग्राम पचायत यूनियम" शब्द रखे जायेगे ,

(vi) स्तम्भ 2 के नीचे, 64. पानारुटी के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि **के स्थान पर**, "पानरुटी तालुक में पानरुटी नगरपालिका, पानरुटी पंचायत यूनियन, परिशिष्ट की मद सं० (17) में विनिर्दिष्ट कुरिन्जीपाडी पंचायत यूनियन की पंचायतें; तथा कड्डालोर तालुक में परिशिष्ट की मद सं० (17-क) में विनिर्दिष्ट कुरिन्जीपाडी पंचायत यूनियन की पंचायतें" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) स्तम्भ 2 के नीचे, 65. कुरिन्जीपाडी के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि **के स्थान पर**, "पानरुटी और कुडडालोर तालुकों में नैवेली लिगनाइट निगम क्षेत्र कुरिन्जीपाडी पंचायत यूनियन (परिशिष्ट की मद सं० (17) और (17क) में विनिर्दिष्ट पंचायतों को छोड़कर)।" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) स्तम्भ 2 के नीचे, 67. कुटटुमन्नारकोइल (अ०जा०) तथा 68. चिदम्बरम के सामने निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में आए, "चेटटीकटटालइ पंचायत का 140. थिरुवणिनाथम ग्राम और" शब्द और अंक **हटा दिए जाएंगे** ;

(ix) स्तम्भ 1 और 2 के नीचे, 97. काबिलामलाई के सामने आए "काबिलामलाई" शब्द **के स्थान पर**, 'कापिलामलाई" शब्द पढ़िए ;

(x) तस्म्भ 2 के नीचे, 124. भवानीसागर के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि **के स्थान पर**, "सत्यमंगलम तालुक में भवानीसागर टाउनशिप और भवानीसागर पंचायत यूनियन ; गोंबिचेट्टिपालयम तथा सत्यमंगलम तालुक में नम्बियुर पंचायत यूनियन (कोशनम, तालमुनी, और गोटिटचवियुर पंचायतों को छोड़कर), तथा सत्यमंगलम पंयाचत यूनियन (परिशिष्ट की मद (35) में विनिर्दिष्ट पंचायतों को छोड़कर)।" प्रविष्टि रखी जाएंगी ;

(xi) स्तम्भ 2 के नीचे, 125. सत्यमंगलम के सामने निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि **के स्थान पर**, "सत्यमंगलम तालुक में सत्यमंगलम नगरपालिका, परिशिष्ट की मद (35) में विनिर्दिष्ट सत्यमंगलम पंचायत यूनियन की पंचायतें तथा टालावाडी पंचायत यूनियन ; तथा गोबिचेट्टिपालयम और सत्यमगलम तालुकों में थुक्कनाइक्कमपालयम पंचायत यूनियन तथा आरक्षित वनक्षेत्र।" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) स्तम्भ 2 के नीचे, 141. तिरुप्पारनकुन्द्रम के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि **के स्थान पर**, "मदुराई दक्षिण तालुक में तिरुप्पारनकुन्द्रम पंचायत यूनियन (परिशिष्ट की मद (39) में विनिर्दिष्ट पंचायतों को छोड़कर) ; और भडाकुलम पोनमेनी, अराप्पालयम, कोक्कालाप्पी, कोचाडाई और विल्लापुरम (भाग) ग्राम।" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) स्तम्भ 2 के नीचे, 143. मदुराई केन्द्रीय के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि **के स्थान पर**, "मदुराई नगर निगम (डिवीजन 1 से 12 तक 16 से 21 तक 27, 28 और 34 से 45 तक तथा

मदुराई दक्षिण तालुक में मडाकुलम, पोनमेनी, अरापालयम, कोवलाप्पी, कोचाडाई, विल्लापुरम (भाग) ग्रामों तथा मदुराई उत्तर तालुक में सेल्लूर, बीबिकुलम, तल्लाकुलम, साथमंगलम, विलंगुडी (भाग) थाथानेरी (भाग) तथा मानागिरि (भाग) ग्राम को छोडकर) ।" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) स्तम्भ 2 के नीचे, 145. समायनल्लुर (अ०जा०) के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि **के स्थान पर**, "सेल्लुर , बीबिकुलम, तल्लाकुलम, साथामंगलम, विलंगुडी (भाग) थाथानेरी (भाग) और मानागिरि (भाग) ग्रामों को सम्मिलित करते हुए, मदुराई उत्तर तालुक ।" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) स्तम्भ 2 के नीचे, 155 कुलिथलाई के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में आए "पंचायतें" शब्द के पश्चात्, "और उसिलामपट्टी, कन्नडा-यामपट्टी और कलिंगापट्टी ग्राम" शब्द जोड़ दिए जायेंगे ;

(xvi) स्तम्भ 2 के नीचे, 167. तिरुचिरापल्ली–II तथा 168. थिरुवेरम्बुर के सामने, निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में आए "के० अभिशेकपुरम टाउन पंचायतों" शब्दों **के स्थान पर**, "के० अभिशेकपुरम पंचायतें" शब्द रखें जायेंगे ।

(xvii) स्तम्भ 2 के नीचे, 174. तिरुवरुर (अ०जा०) के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन मे आए " नागापट्टीनम तालुक "शब्दों **के स्थान पर**, "तिरुवरुर तालुक" शब्द रखें जायेंगे ;

(xviii) स्तम्भ 2 के नीचे, 180. पेरावुरानी के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में आए "पेरावुरानी उप-तालुक" शब्दों **के स्थान पर**, "पेरावुरानी तालुक " शब्द रखें जायेंगे ;

(xix) स्तम्भ 2 के नीचे, 207. शिवकासी, 208. श्रीविल्लीपुथुर और 209. राजापालयम (अ०जा०) के सामने निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में आए " राजापालयम उप-तालुक" शब्दों **के स्थान पर** " राजापालयम तालुक " शब्द रखे जायेंगे ;

(xx) स्तम्भ 2 के नीचे, 210. विलथिकुलम और 211. औट्टापिडारम (अ० जा०) के सामने, निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में आए" "औट्टापिडराम उप-तालुक" शब्दों **के स्थान पर**, "औट्टापिडारम तालुक शब्द रखे जाएंगे ;

II. टिप्पणी में आए "1974 के दिसम्बर मास के प्रथम दिन" शब्दों और अंकों **के स्थान पर** , "1975 के अगस्त मास के प्रथम दिन" शब्द और अंक रखे जाऐंगे ;

III. उक्त आदेश के परिशिष्ट में—

(i) मद (10) मे "12. आग्राहराम " प्रविष्टि **के पश्चात** "13. वेप्पानकुप्पम" प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी ;

(ii) विद्यमान मद सं0 (16), (17) और (18) के स्थान पर, निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी ;

(16)

62. नेल्लिकुप्पम निर्वाचन-क्षेत्र में सम्मिलित कुड्डालोर तालुक में कुड्डालोर पंचायत यूनियन की पंचायतें ।

1. रामपुरम,
2. वेल्लाकराई,
3. कोडुक्कानपालयम,
4. चेन्नप्पानाइक्केनपालयम,
5. नाडुवीरापट्टु,
6. कुमालंगुलम,
7. विलंगलपट्टु,
8. वनमादेवी,
9. थिरुमनिकुली,
10. थिरुवन्डिपुरम,
11. पिल्लाली,
12. कुनामंगलम
13. करमणिकुप्पम,
14. वरगलपट्टु

(17)

63. पानरुटी निर्वाचन-क्षेत्र में सम्मिलित पानरुटी तालुक में कुरिजीपाडी पंचायत यूनियन की पंचायतें ।

1. अन्नाथानमपेट्टाई,
2. कीलुर,
3. वाडाकुथु,
4. वेन्कटमपेट्टाई
5. कोरानापट्टु,
6. मधनगोपालपुरम
7. पुलियुर,
8. समुट्टिकुप्पम

(17-क)

64. पानरूटी निर्वाचन-क्षेत्र में सम्मिलित कुड्डालोर तालुक में कुरिजीपाडी पंचायत यूनियन की पंचायतें ।

1. थायलगुनमपटनम
2. पेथुनाइक्केनकुप्पम,
3. थाम्बिपेट्टाई,
4. टी० पालयम,
5. अम्बालावनामपेट्टाइ
6. वाम्मुडालामपट्टु,
7. कृष्णनकुप्पम

(18)

68. चिदम्बरम निर्वाचन-क्षेत्र में सम्मिलित चिदम्बरम तालुक मे कटटमन्नारकोइल पंचायत यूनियन की पंचायतें ।

1. कोशाई,
2. आडिवराहनल्लुर
3. कन्डियानकुप्पम,
4. श्रीनेडुनचेरी,
5. थेथामपट्टु,
6. श्रीमुश्नम,
7. नागरपाडी,
8. श्रीपुथुर,

9. मेल्पुलियांगुडी,
10. कल्लिपाडी,
11. कुनामंगलम,
12. माडकलिर्मेणिक्कम,
13. एसानुर,
14. कोक्कारासामपेट्टाई।

(iii) मद (21) में—

(क) "13. अरियापेरूमानुर" प्रविष्टि **के पश्चात्**, "14. रंगानाथपुरम" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ;

(ख) "17. थेन्कीरानुर" प्रविष्टि **हटा दी जाएगी** ;

(ग) विद्यमान "14, 15 और 16" क्रम संख्याएं, क्रमशः "15, 16, और 17" क्रम संख्याओं के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी ;

(iv) मद (23) में :—

(क) "1. कारुक्कनाहल्ली" प्रविष्टि **के पश्चात्**, "2. डोड्डामेल्ली" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ;

(ख) विद्यमान "2 से 5 तक" की क्रम संख्याएं क्रमशः, "3 से 6 तक" की क्रम संख्याओं के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी ;

(v) मद (26) में "9. मुथुनाइक्केनपट्टी" प्रविष्टि **के पश्चात्**, "10. सेम्मानकुडल" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी;

(vi) मद (35) के नीचे शीर्षक मे आए "गोबिचेट्टिपालयम तालुक" शब्दों **के स्थान पर**, "सत्यमंगलम तालुक" शब्द रखे जाएगे;

(vii) मद (36) के नीचे "9. कोट्टाइदुरापरिचिपालयम" **के स्थान पर**, "9. कोट्टादुराई" शब्द रखे जाएगे ;

(viii) मद (46) :—

(क) "8. सेन्डाकोट्टाइ" प्रविष्टि **के पश्चात्**, "9. मलियाकाड्" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी;

(ख) "9 से 14 तक" की विद्यमान क्रम संख्याओं को क्रमशः "10 से 15 तक" की क्रम संख्याओं के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ;

(ix) मद (37) के नीचे "20. उलुर" **के स्थान पर**, "20. मेलाउलुर" शब्द रखे जायेंगे ;

(x) मद (48) के नीचे "4. वेन्नालोडाई" **के स्थान पर**, "4. वडागल" शब्द रखे जायेगे ;

(xi) मद (54) के नीचे शीर्षक में आए "ओट्टापिडारम उप-तालुक" शब्दों **के स्थान पर**, "ओट्टापिडारम तालुक" शब्द रखे जाएगे ;

(xii) मद (65) के नीचे "6. टुटिकोरिन (एन० एम०)" के स्थान पर, "टुटिकोरिन (देहात)" शब्द रखे जाएंगे ;

[सं० 282/1/त०ना०/75]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

ERRATUM

In the Election Commission's Notification No. 282/1/GJ/75 dated 12th January, 1976, published in the gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii) dated 14th January, 1976, at p. 89, under item I(ii), in the second line, for the existing matter, *substitute* the matter "constituency, for the figure and words 39-Golita villages the figure and".

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976